[2020] 9 एस.सी.आर. 607

वेटिंडिया फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या 3647 2020)

06 नवंबर 2020

[आर एफ नरीमन, नवीन सिन्हा और

कृष्ण मुरारी, जे.जे.]

दवाएँ:

दवा की ब्लैकलिस्टिंग – का औचित्य – अपीलकर्ता–कंपनी (एक वैध लाइसेंस धारक) द्वारा निर्मित प्रश्नाधीन दवा – प्रतिवादी–राज्य को आपूर्ति की गई – एक निविदा के अनुसार एक आपूर्तिकर्ता द्वारा – दवा की ब्लैकलिस्टिंग का आदेश राज्य द्वारा दिया गया था निर्माण कंपनी को, निविदा शर्तों के अनुसार – रिट याचिका – याचिका दायर करने में 10 साल की देरी के आधार पर खारिज कर दी गई – सुप्रीम कोर्ट में अपील – माना गया: निर्माण कंपनी द्वारा किसी भी आपूर्ति के अभाव में, ब्लैकलिस्टिंग का आदेश निविदा शर्तों को लागू करना एक मौलिक दोष है और इसलिए टिकाऊ नहीं है – 3 साल या अधिकतम 5 साल से अधिक काली सूची में डालने का आदेश उचित नहीं है – चूंकि निर्माण कंपनी अधिकारियों के साथ मामले को आगे बढ़ा रही थी, इसलिए रिट याचिका को अस्पष्ट देरी से रोका नहीं गया था – देरी।

सीमा:

सीमा अवधि – रिट याचिका दायर करने के लिए – माना गया: उच्च न्यायालय देरी के आधार पर अपने विवेकाधीन रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है – लेकिन यह केवल विवेक का नियम है और अनिवार्य आवश्यकता नहीं है – सीमा अधिनियम सख्ती से लागू नहीं होता है रिट क्षेत्राधिकार के लिए – इसलिए, इस तरह के विवेक का विवेकपूर्ण प्रयोग किया जाना चाहिए – भारत का संविधान – कला। 226 – परिसीमा अधिनियम, 1963 – विलंब।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहा:

1.1 इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं को इंजेक्शन की आपूर्ति नहीं की गई थी। फिर भी कारण बताओ नोटिस दिनांक 21.10.2008 में प्रतिवादी को गलत ब्रांड वाली दवा की आपूर्ति के लिए निविदा के संदर्भ में आगे की कार्रवाई का उल्लेख किया गया था। इसके अलावा, कारण बताओ नोटिस में यह नहीं बताया गया कि काली सूची में डालने की कार्रवाई की जानी थी या विचाराधीन था। इसमें केवल टेंडर के नियमों के अनुरूप उचित कार्रवाई का जिक्र था. यह तथ्य कि निविदा की शर्तों में ब्लैकलिस्टिंग का प्रावधान किया गया है, मामले के तथ्यों में अप्रासंगिक है। अपीलकर्ता द्वारा किसी भी आपूर्ति के अभाव में, निविदा के खंड 8.12 और 8.23 को लागू करते हुए दिनांक 08.09.2009 को काली सूची में डालने का आदेश एक मौलिक दोष

है, जो इसमें शामिल मुद्दों पर दिमाग का उपयोग न करने को दर्शाता है। अपीलकर्ता द्वारा इस तथ्य को प्रतिवादियों के ध्यान में लाने के बाद भी उन्होंने इस पर कोई ध्यान देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा, यह इसके लिए कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं करता है। [पैरा 9][613–सी–ई]

1.2 स्थायी निषेध का आदेश अनुचित है। 3 वर्ष या अधिकतम 5 वर्ष से अधिक समय तक काली सूची में डालने का आदेश असंगत है। काली सूची में डालने का आदेश न केवल किसी व्यावसायिक व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करता है, बल्कि एक कलंक भी लगाता है, जो बहुत दूर तक जाता है और आने वाले समय में संगठन/संस्था की मृत्यु की घंटी बजा सकता है, जिसे नागरिक मृत्यु के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अभ्यावेदन के साथ–साथ रिट याचिका में भी अपीलकर्ता पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट रूप से बताया गया था, जिसमें राजस्थान निविदा के तहत परिणाम भी शामिल थे, जहां उसे वर्तमान विवादित आदेश के कारण स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। संभावना हमेशा बनी रहती है कि यदि उचित कारण बताओ नोटिस दिया गया होता और दिए गए उत्तर पर कानून के अनुसार विचार किया गया होता, भले ही उत्तरदाताओं ने अपीलकर्ता को काली सूची में डालने का फैसला किया हो, तो भी उनके दिमाग में पूरी तरह से अलग–अलग विचार प्रबल हो सकते हैं, खासकर के संबंध में। अवधि। [पैरा 13][616–ए–सी]

> कुलजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम मुख्य महाप्रबंधक, वेस्टर्न टेलीकॉम प्रोजेक्ट भारत संचार निगम लिमिटेड और अन्य **(2014) 14 एससीसी 731: [2013] 14 एससीआर 430;** मैसर्स डैफोडिल्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड एवं अन्य। वि. का राज्य ऊपर। और अन्य. **2019 (17) स्केल 758 – पर भरोसा किया गया।**

2.1 इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र में अदालत से संपर्क करने में देरी के आधार पर विवेकाधीन रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। लेकिन यह केवल विवेकाधीन न्यायसंगत क्षेत्राधिकार के अभ्यास में न्यायालय द्वारा विकसित आत्म–संयम के विवेक का एक नियम है और यह अनिवार्य आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक विलंबित याचिका को देरी के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए। लिमिटेशन एक्ट स्ट्रिक्टो सेंसु रिट क्षेत्राधिकार पर लागू नहीं होता है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय को जो विवेकाधिकार प्राप्त है, उसे विवाद की प्रकृति, देरी के लिए स्पष्टीकरण, चाहे कोई तीसरा पक्ष हो, सहित मामले के सभी पक्ष और विपक्ष पर विचार करने के बाद विवेक का विवेकपूर्ण प्रयोग करना होगा। अधिकारों में हस्तक्षेप किया गया है आदि। अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार प्रकृति में न्यायसंगत होने के कारण, इस बात पर विचार करने में आनुपातिकता के प्रश्न भी उठेंगे कि क्या विवादित आदेश विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के अभ्यास में हस्तक्षेप के योग्य है या नहीं। [पैरा 14][616–एच; 617– ए–सी]

> बसंती प्रसाद बनाम बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड और अन्य **(2009) 6 एससीसी 791: [2009] 9 एससीआर 367;** मून मिल्स लिमिटेड बनाम औद्योगिक न्यायालय **एआईआर 1967 एससी 1450;** महाराष्ट्र एसआरटीसी बनाम बलवंत रेगुलर मोटर सर्विस **एआईआर 1969 एससी 329: [1969] 1 एससीआर 808;** मप्र राज्य और अन्य बनाम नंदलाल जयसवाल और अन्य, **(1986) 4 एससीसी 566: [1987] 1 एससीआर 1 – पर भरोसा किया गया।**

2.2 उत्तरदाताओं का यह तर्क कि उन्होंने धारा 9 के तहत गलत ब्रांड वाले उत्पाद के लिए विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार औषधि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया है, तथ्यहीन है और इस पर कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए। उत्तरदाताओं का यह मामला नहीं है कि औषधि अधिनियम की धारा 23, 25

और 26 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है। दिनांक 21.07.2008 के प्रति शपथपत्र के अनुलग्नक आर–5 में फॉर्म 14ए के तहत नमूनों की कथित खरीद द्वारा किसी अज्ञात स्रोत और तारीख से औषधि अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को दिखाने के कमजोर प्रयास को साक्ष्य बनाने के प्रयास के रूप में सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए। जहां कोई मौजूद नहीं है. [पैरा 15][617–जी–एच; 618– ए]

2.3 रिट याचिका को अस्पष्टीकृत देरी से नहीं रोका गया था क्योंकि अपीलकर्ता अधिकारियों के साथ मामले को आगे बढ़ा रहा था और वे ही इस पर बैठे थे, जिसके कारण 05.07.2019 को राजस्थान सरकार द्वारा अपीलकर्ता की निविदा को अस्वीकार कर दिया गया था। 24.07.2019 को रिट याचिका की स्थापना। इसलिए उच्च न्यायालय ने देरी के आधार पर रिट याचिका को खारिज करने में गलती की। दिनांक 08.09.2009 के आदेश की अवैधता और असंगत प्रकृति, जिसमें किसी तीसरे पक्ष के अधिकार प्रभावित नहीं हुए, ने कभी भी विवेकाधीन न्यायसंगत क्षेत्राधिकार के विवेकपूर्ण अभ्यास में उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित नहीं किया। नतीजतन, उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश के साथ–साथ प्रतिवादियों के दिनांक 08.09.2009 के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। [पैरा 16][618–बी–डी]

<u>केस कानून संदर्भ</u>

[2014] 13 एससीआर 617 पैरा 5 पर निर्भर था

[1975] 2 एससीआर 674 पैरा 10 पर निर्भर था

[1978] 3 एससीआर 514 पैरा 10 पर निर्भर था

[2013] 14 एससीआर 430 पैरा 13 पर निर्भर था

2019 (17) स्केल 758 पैरा 13 पर निर्भर है

[2009] 9 एससीआर 367 पैरा 14 पर निर्भर था

[1969] 1 एससीआर 808 पैरा 14 पर निर्भर था

[1987] 1 एससीआर 1 पैरा 14 पर निर्भर था

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2020 की सिविल अपील संख्या 3647।

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की न्यायिक पीठ के दिनांक 25.07.2019 के निर्णय और आदेश से, 2019 की रिट – सी संख्या 24253।

सुश्री शोभा गुप्ता, सुश्री प्राची आप्टे, अंकित गोयल, अभिनव कौशिक, आर.के. गुप्ता, सलाहकार। उपस्थित पक्षों के लिए.

न्यायालय का निर्णय **नवीन सिन्हा, जे.** द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमत्ति स्वीकृत।

2. अपीलार्थी काली सूची में डालने के अनिश्चितकालीन आदेश दिनांक 08.09.2009 से व्यथित है। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को केवल देरी के आधार पर खारिज कर दिया, क्योंकि इसे दस साल बाद प्राथमिकता दी गई थी।

3. अपीलकर्ता की विद्वान वकील सुश्री शोभा गुप्ता का कहना है कि उसके पास ड्रग्स द्वारा जारी फॉर्म 28 (नियम 76) में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 (इसके बाद 'ड्रग्स एक्ट' के रूप में संदर्भित) के तहत एक वैध लाइसेंस है। नियंत्रण प्रशासन, आंध्र प्रदेश सरकार। मेसर्स पलक फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2007 में अपीलकर्ता से आपूर्ति प्राप्त की थी, और बदले में इसे दिनांक 04.10.2006 के एक निविदा नोटिस के तहत प्रतिवादी को आपूर्ति की थी। दवा का ब्रांड नाम "ऑक्सी –125" सही बताया गया था। दवा की संरचना का उल्लेख भी सही ढंग से "ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एचसीएल आईपी वेट 125 मिलीग्राम" के रूप में किया गया था। सामान्य शब्द "एचसीएल" केवल लेबल पर गायब था, और इसे "ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आईएनजे" के रूप में लिखा गया था। आई.पी. "ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एचसीएल आईएनजे" के स्थान पर वीईटी"। आई.पी. पशुचिकित्सक"। इसलिए यह वास्तविक असावधानीपूर्ण मुद्रण त्रुटि का मामला था जिसके परिणामस्वरूप गलत ब्रांडिंग हुई। उत्पाद घटिया या नकली पशु चिकित्सा नहीं था।

4. अपीलकर्ता को दिनांक 08.09.2009 को निदेशक, पशुपालन विभाग के कार्यालय द्वारा राज्य विश्लेषक की रिपोर्ट दिनांक 10.10.2008 का हवाला देते हुए काली सूची में डालने का आदेश दिया गया था, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए बैच को घटिया गुणवत्ता का घोषित किया गया था। (गलत ब्रांडेड/ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन के अनुरूप नहीं), इस प्रकार 2006–07 की निविदा के खंड 8.12 और 8.23 का उल्लंघन है। अपीलकर्ता ने उत्तरदाताओं को सूचित किया कि उसने प्रश्नगत निविदा के तहत उन्हें कभी कोई आपूर्ति नहीं की थी। जिस गलतब्रांडिंग का उल्लेख किया गया वह एक अनजाने में हुई त्रुटि थी। उत्तरदाताओं को कुछ और स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी जो 04.05.2019 को प्रस्तुत किए गए लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। काली सूची में डालने का आदेश अपीलकर्ता के लिए बहुत बड़ा पूर्वाग्रह पैदा कर रहा है और उसे इसी तरह की निविदाओं में भाग लेने से रोक रहा है, सबसे हालिया मामला राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 05.07.2019 को उक्त कारण से अस्वीकृति है। प्रतिवादियों द्वारा औषधि अधिनियम की धारा 23, 25, 26 और 27 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

5. रिट याचिका में देरी के लिए दिए गए स्पष्टीकरण पर ठीक से विचार नहीं किया गया है। काली सूची में डालने का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होने के कारण इसमें देरी अप्रासंगिक है और इसकी अनिश्चित प्रकृति और परिणामों के कारण कार्रवाई का कारण जारी रहता है। विद्वान वकील ने गोरखा सिक्योरिटी सर्विसेज बनाम सरकार (एनसीटी दिल्ली) और अन्य, (2014) 9 एससीसी 105 पर बहुत अधिक भरोसा करते हुए कहा कि दिनांक 21.10.2008 का कारण बताओ नोटिस कानून की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। उसने आगे मेसर्स डैफोडिल्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और अन्य पर भरोसा किया है। बनाम यूपी राज्य एवं अन्य, 2019 (17) स्केल 758, जहां इस न्यायालय ने राय दी कि लगभग चार साल की रोक पर्याप्त थी।

6. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री अंकित गोयल का कहना है कि ब्लैकलिस्टिंग के आदेश को चुनौती देने में दस साल की भारी और अत्यधिक देरी के आधार पर रिट याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। इससे पहले दिनांक 21.10.2008 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और प्रस्तुत उत्तर पर विचार किया गया था। औषधि अधिनियम की धारा 9 के अनुसार पशु चिकित्सा को गलत ब्रांड किया

गया था, जिसका समर्थन विश्लेषक की रिपोर्ट द्वारा किया गया था। कारण बताओ नोटिस में किसी भी गुप्त दोष के कारण अपीलकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए विवादित आदेश हस्तक्षेप के योग्य नहीं हैं।

7. हमने पक्षों की ओर से प्रस्तुतियों पर विचार किया है और संतुष्ट हैं कि रिट याचिका एक से अधिक कारणों से अनुमति देने योग्य है।

8. अपीलकर्ता एक लाइसेंस प्राप्त दवा निर्माता है। विचाराधीन दवाएं गलत ब्रांड वाली पाई गई हैं और नकली या मिलावटी नहीं हैं। अपीलकर्ता ने ""ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजे. आई पी पशु चिकित्सक" बताते हुए लेबल पर एक वास्तविक अनजाने मुद्रण त्रुटि की दलील दी। आई.पी. "ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एचसीएल आईएनजे" के स्थान पर वीईटी"। आई.पी. पशुचिकित्सक"। कारण बताओ नोटिस के जवाब में दिनांक 15.11.2008 को अपीलकर्ता द्वारा दिए गए इस स्पष्टीकरण पर उत्तरदाताओं द्वारा किसी भी स्तर पर कोई विचार नहीं किया गया। अपीलकर्ता ने शुरू में उत्तरदाताओं के साथ मामले को दबाने की कोशिश की। 19.05.2011 को, अपीलकर्ता ने उत्तरदाताओं से 2011–2012 के लिए आगे की निविदाओं में भाग लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया। इस मामले को बाद में अपीलकर्ताओं द्वारा उत्तरदाताओं के साथ लिखित रूप में भी उठाया गया। दिनांक 01.05.2019 को अपीलार्थी ने पुनः आदेश दिनांक 08.09.2009 को वापस लेने का अनुरोध किया। उत्तरदाताओं ने 03.05.2019 को 2006–07 की निविदा के खंड 8.12 और 8.23 के उल्लंघन को दोहराते हुए अपीलकर्ता के अनुरोध को खारिज कर दिया। हालाँकि इसने अपीलकर्ता के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी जो 04.05.2019 को प्रस्तुत की गई थी। अपीलकर्ता को ब्लैकलिस्टिंग के विवादित आदेश के कारण 05.07.2019 को राजस्थान राज्य द्वारा विचार करने से भी रोक दिया गया था। इसके बाद उत्तरदाताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर रिट याचिका दायर की गई।

9. इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं को इंजेक्शन की आपूर्ति नहीं की गई थी। फिर भी कारण बताओ नोटिस दिनांक 21.10.2008 में प्रतिवादी को गलत ब्रांड वाली दवा की आपूर्ति के लिए निविदा के संदर्भ में आगे की कार्रवाई का उल्लेख किया गया था। इसके अलावा, कारण बताओ नोटिस में यह नहीं बताया गया कि काली सूची में डालने की कार्रवाई की जानी थी या विचाराधीन था। इसमें केवल टेंडर के नियमों के अनुरूप उचित कार्रवाई का जिक्र था. यह तथ्य कि निविदा की शर्तों में ब्लैकलिस्टिंग का प्रावधान किया गया है, मामले के तथ्यों में अप्रासंगिक है। अपीलकर्ता द्वारा किसी भी आपूर्ति के अभाव में, निविदा के खंड 8.12 और 8.23 को लागू करते हुए दिनांक 08.09.2009 को काली सूची में डालने का आदेश एक मौलिक दोष है, जो इसमें शामिल मुद्दों पर दिमाग का उपयोग न करने को दर्शाता है। अपीलकर्ता द्वारा इस तथ्य को प्रतिवादियों के ध्यान में लाने के बाद भी उन्होंने इस पर कोई ध्यान देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा, यह इसके लिए कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं करता है।

10. **मैसर्स. इरूसियन इक्विपमेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य,** (1975) 1 एससीसी 70, में माना गया कि मनमाने ढंग से ब्लैकलिस्टिंग नहीं की जा सकती और वह भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करके। **जोसेफ विलंगंदन बनाम कार्यकारी अभियंता, (पीडब्ल्यूडी), एर्नाकुलम और अन्य,** (1978) 3 एससीसी 36 में, यह न्यायालय इस प्रकार कारण बताओ नोटिस पर विचार कर रहा था:

"17। ...." इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कारण बताएं...आपको डिफॉल्टर घोषित करने के बाद अन्य एजेंसियों के माध्यम से आपके जोखिम और नुकसान पर काम की व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती...."

महत्वपूर्ण शब्द वे हैं जिन्हें रेखांकित किया गया है (यहां इटैलिक में)। वे संदर्भ से अपना रंग लेते हैं। वाक्य के पहले और बाद के लिंक के साथ, शब्द "आपको डिफॉल्टर के रूप में प्रतिबंधित करना" के रूप में समझा जा सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं बताया जा सकता है कि प्रश्न में अनुबंध के संदर्भ में कोई कार्रवाई केवल विचाराधीन थी। नोटिस में ऐसे कोई शब्द नहीं हैं जो प्राप्तकर्ता को यह स्पष्ट सूचना दे सके कि उसे भविष्य में विभाग के तहत कोई भी अनुबंध लेने से वंचित करने का प्रस्ताव किया गया था।... "

11. यह सवाल कि क्या काली सूची में डालने से पहले कारण बताओ नोटिस यह संचार व्यक्त करता है कि काली सूची में डालने का आदेश क्यों नहीं दिया जाए या यह अधिकारियों के विचार में था, **गोरखा सिक्योरिटी सर्विसेज** (सुप्रा) में इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा: –

"27. इसलिए, हमारी राय है कि कारण बताओ नोटिस में यह बताना विभाग के लिए अनिवार्य है कि सक्षम प्राधिकारी का इरादा ब्लैकलिस्टिंग का ऐसा जुर्माना लगाने का था, ताकि अपीलकर्ता को पर्याप्त और सार्थक अवसर प्रदान किया जा सके। उसी के विरुद्ध कारण बताने के लिए। हालाँकि, हम यह भी जोड़ सकते हैं कि भले ही इसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन कारण बताओ नोटिस को पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसी कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी, जो इस आवश्यकता को पूरा करेगी। हालाँकि, वर्तमान मामले में, कारण बताओ नोटिस को पढ़ने से यह नहीं पता चलता है कि नोटिस प्राप्तकर्ता यह पता लगा सकता है कि ऐसी कार्रवाई भी की जा सकती है। हम ऐसा उन कारणों से कहते हैं जो इसके बाद दर्ज किए गए हैं।

28. वर्तमान मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता को दिनांक 6–2–2013 को कारण बताओ नोटिस दिया गया था। उसका प्रासंगिक भाग पहले ही ऊपर निकाला जा चुका है (पैरा 5 देखें)। यह कारण बताओ नोटिस ब्लैकलिस्टिंग कार्रवाई के बारे में स्पष्ट रूप से मौन है। इसके विपरीत, अपीलकर्ता द्वारा कथित चूक की प्रकृति और समझौते के उल्लंघनों के बारे में विस्तार से बताने के बाद नोटिस में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि उक्त चूक के कारण अपीलकर्ता "तदनुसार लागत वसूलने के लिए उत्तरदायी था"। इसमें आगे कहा गया है, "सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित समझी जाने वाली अन्य कार्रवाई के अलावा, फर्म के खिलाफ ऊपर उल्लिखित कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती है"। उपरोक्त से यह पता चलता है कि मुख्य कार्रवाई जो उत्तरदाता करना चाहते थे वह लागत लगाना था। इसमें कोई संदेह नहीं है, नोटिस में आगे उल्लेख किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे जाने पर अन्य कार्रवाई कर सकता है। हालाँकि, यह डिफॉल्टर को यह बताने की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है कि ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई भी सक्षम प्राधिकारी के दिमाग में थी। पार्टियों के बीच किए गए समझौते में खंड 27 का अस्तित्व, अन्य "उचित समझी जाने वाली कार्रवाइयों" का अस्पष्ट उल्लेख करके उपरोक्त अनिवार्य आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा। जैसा कि पहले ही ऊपर बताया जा चुका है, जहां तक काली सूची में डालने और बयाना राशि/सुरक्षा जमा राशि को जब्त करने के जुर्माने का सवाल है, इसे केवल "यदि आवश्यक हो" ही लगाया जा सकता है। इसलिए, इस संबंध में किसी विशिष्ट शर्त के बिना, प्रतिवादी काली सूची में डालने का जुर्माना नहीं लगा सकता था।

33. जब हम उपरोक्त निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हैं, तो विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के तर्क को स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। पहले उदाहरण में, हम यह बता सकते हैं कि उत्तरदाताओं द्वारा ऐसा कोई मामला स्थापित नहीं किया गया था कि कारण बताओ नोटिस में अपीलकर्ता को ब्लैकलिस्ट करने की प्रस्तावित कार्रवाई का उल्लेख न करने से अपीलकर्ता पर कोई पूर्वाग्रह न हो। इसके अलावा, यदि कारण बताओ नोटिस में काली सूची में डालने की कार्रवाई विशेष रूप से प्रस्तावित की गई होती, तो अपीलकर्ता यह उल्लेख कर सकता था कि इस तरह का अत्यधिक जुर्माना उचित क्यों नहीं है। भले ही चूक हुई हो और विभाग चूक के संबंध में स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं था, तब भी ऐसी कार्रवाई का बचाव करने वाली परिस्थितियाँ सामने आ सकती थीं। विभाग से अपील भी की जा सकती थी कि अपीलकर्ता को काली सूची में न डाला जाए या यदि विभाग अभी भी अपीलकर्ता को काली सूची में डालना चाहता है तो उसे कम अवधि के लिए ऐसा करना चाहिए। इसलिए, यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है कि कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित ब्लैकलिस्टिंग का उल्लेख न करने से अपीलकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अलावा, गंभीर परिणामों के साथ काली सूची में डालने जैसे कठोर दंड की चरम प्रकृति स्वयं अपीलकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करने के समान होगी।"

12. यदि उत्तरदाताओं ने काली सूची में डालने के लिए कारण बताओ नोटिस में अपने मन की बात व्यक्त की होती, तो अपीलकर्ता उस पर उचित प्रतिक्रिया दाखिल कर सकता था। निविदा की शर्तों के संदर्भ में विवादित आदेश का समर्थन करने के प्रतिवादियों का आग्रह, अपीलकर्ता के सफल निविदाकर्ता और आपूर्तिकर्ता होने की अनुपस्थिति में अवैधता को ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए हम मानते हैं कि दिनांक 08.09.2009 को काली सूची में डालने का आदेश एक से अधिक आधारों पर शुरू से ही दोषपूर्ण है और हस्तक्षेप के योग्य है।

13. उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, ब्लैकलिस्टिंग की अवधि के प्रश्न पर जाने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन हमारे सामने दिए गए तर्कों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। काली सूची में डालने का आदेश किसी व्यावसायिक व्यक्ति के प्रति न केवल पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है, बल्कि एक ऐसा कलंक भी लगाता है, जो बहुत आगे तक जाता है और आने वाले समय में संगठन/संस्था की मृत्यु की घंटी भी बजा सकता है, जिसे नागरिक मृत्यु के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अभ्यावेदन के साथ–साथ रिट याचिका में भी अपीलकर्ता पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट रूप से बताया गया था, जिसमें राजस्थान निविदा के तहत परिणाम भी शामिल थे, जहां उसे वर्तमान विवादित आदेश के कारण स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। संभावना हमेशा बनी रहती है कि यदि उचित कारण बताओ नोटिस दिया गया होता और दिए गए उत्तर पर कानून के अनुसार विचार किया गया होता, भले ही उत्तरदाताओं ने अपीलकर्ता को काली सूची में डालने का फैसला किया हो, तो भी उनके दिमाग में पूरी तरह से अलग–अलग विचार प्रबल हो सकते हैं, खासकर के संबंध में अवधि। **कुलजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम मुख्य महाप्रबंधक, वेस्टर्न टेलीकॉम प्रोजेक्ट भारत संचार निगम लिमिटेड और अन्य,** (2014) 14 एससीसी 731 में यह अदालत, ब्लैकलिस्टिंग के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के बावजूद, लेकिन यह देखते हुए कि स्थायी रोक का आदेश अनुचित था, देखा गया:–

"28.2. दूसरे, क्योंकि उस अवधि का निर्धारण करते समय जिसके लिए ब्लैकलिस्टिंग प्रभावी होनी चाहिए, प्रतिवादी निगम निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए ऐसे मामलों में पालन किए जाने वाले व्यापक दिशानिर्देश तैयार कर सकता है। ऐसे दिशानिर्देशों द्वारा अपराधों, उल्लंघनों और उल्लंघनों की गंभीरता के

आधार पर निषेध की विभिन्न अवधि निर्धारित की जा सकती है। हालाँकि किसी ठेकेदार द्वारा सभी प्रकार के अपराधों और दुष्कर्म के कृत्यों, या संविदात्मक दायित्वों के उल्लंघन की विस्तृत गणना करना संभव नहीं हो सकता है, प्रतिवादी निगम शक्ति के प्रयोग में मनमानी को पूरी तरह से समाप्त नहीं तो कम करने के लिए यथासंभव ऐसा कर सकता है। इसमें निहित है और आदेश की निष्पक्षता में विश्वास प्रेरित करता है जो सक्षम प्राधिकारी एक डिफ़ॉल्ट ठेकेदार के खिलाफ पारित कर सकता है।

चूँकि ब्लैकलिस्टिंग का आदेश हमारे द्वारा अस्थिर पाया गया है, और लंबे समय बीतने को देखते हुए, हम इस मामले को अधिकारियों को सौंपने के इच्छुक नहीं हैं। अपीलकर्ता द्वारा भरोसा किए गए **मैसर्स डैफोडिल्स फार्मास्यूटिकल्स** (सुप्रा) में, इस अदालत ने देखा है कि 3 साल या अधिकतम 5 साल से अधिक की ब्लैकलिस्टिंग का आदेश अनुपातहीन था।

14. यह हमें विलंब के प्रश्न पर लाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र में अदालत से संपर्क करने में देरी के आधार पर विवेकाधीन रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। लेकिन यह केवल विवेकाधीन न्यायसंगत क्षेत्राधिकार के अभ्यास में न्यायालय द्वारा विकसित आत्म–संयम के विवेक का एक नियम है और यह अनिवार्य आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक विलंबित याचिका को देरी के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए। लिमिटेशन एक्ट स्ट्रिक्टो सेंसु रिट क्षेत्राधिकार पर लागू नहीं होता है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय को जो विवेकाधिकार प्राप्त है, उसे विवाद की प्रकृति, देरी के लिए स्पष्टीकरण, चाहे कोई तीसरा पक्ष हो, सहित मामले के सभी पक्ष और विपक्ष पर विचार करने के बाद विवेक का विवेकपूर्ण प्रयोग करना होगा। अधिकारों में हस्तक्षेप किया गया है आदि। अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार प्रकृति में न्यायसंगत होने के कारण, इस बात पर विचार करने में आनुपातिकता के प्रश्न भी उठेंगे कि क्या विवादित आदेश विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के अभ्यास में हस्तक्षेप के योग्य है या नहीं। यह न्यायालय **बसंती प्रसाद बनाम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड और अन्य**, (2009) 6 एससीसी 791 में, **मून मिल्स लिमिटेड बनाम इंडस्ट्रियल कोर्ट,** एआईआर 1967 एससी 1450, **महाराष्ट्र एसआरटीसी बनाम बलवंत रेगुलर मोटर सर्विस,** एआईआर 1969 एससी का हवाला देते हुए। 329 एवं **राज्य म.प्र. और अन्य बनाम नंदलाल जयसवाल और अन्य,** (1986) 4 एससीसी 566, ने माना कि यदि देरी को उचित रूप से समझाया गया है और किसी तीसरे पक्ष के अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अदालत देरी को माफ कर सकती है, निम्नानुसार :

> "18. सामान्य तौर पर, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर आपत्ति नहीं जताते। उनका यह कहना उचित है कि किसी दोषी कर्मचारी को पुराने दावे को पुनर्जीवित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उच्च न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आमतौर पर सुस्त और अकर्मण्य व्यक्ति की सहायता नहीं करेगा। यह पारंपरिक दृष्टिकोण है और इस न्यायालय के अनेक निर्णयों द्वारा इसका अच्छी तरह से समर्थन किया जाता है। इस न्यायालय ने यह भी विचार किया है कि ऐसा कोई अनुल्लंघनीय नियम नहीं है कि, जब भी देरी हो तो न्यायालय को किसी याचिका पर विचार करने से इंकार कर देना चाहिए। इस न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए रिट अदालत याचिका दायर करने में देरी को माफ कर सकती है, यदि देरी को संतोषजनक ढंग से समझाया गया है।"

15. उत्तरदाताओं का यह तर्क कि उन्होंने धारा 9 के तहत गलत ब्रांड वाले उत्पाद के लिए विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार औषधि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया है, तथ्यहीन है और इस पर कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए। उत्तरदाताओं का यह मामला नहीं है कि औषधि अधिनियम की धारा 23, 25 और 26 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है। दिनांक 21.07.2008 के प्रति शपथपत्र के अनुलग्नक आर–5 में फॉर्म 14ए के तहत नमूनों की कथित खरीद द्वारा किसी अज्ञात स्रोत और तारीख से औषधि अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को दिखाने के कमजोर प्रयास को साक्ष्य बनाने के प्रयास के रूप में सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए। जहां कोई मौजूद नहीं है.

16. उपरोक्त चर्चा, इसलिए, हमें इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि रिट याचिका को अस्पष्ट देरी से नहीं रोका गया था क्योंकि अपीलकर्ता अधिकारियों के साथ मामले को आगे बढ़ा रहा था और वे ही इस पर बैठे रहे, जिससे अपीलकर्ता की निविदा को अस्वीकार कर दिया गया। राजस्थान सरकार ने 05.07.2019 को 24.07.2019 को रिट याचिका दायर की। इसलिए उच्च न्यायालय ने देरी के आधार पर रिट याचिका को खारिज करने में गलती की। दिनांक 08.09.2009 के आदेश की अवैधता और असंगत प्रकृति, जिसमें किसी तीसरे पक्ष के अधिकार प्रभावित नहीं हुए, ने कभी भी विवेकाधीन न्यायसंगत क्षेत्राधिकार के विवेकपूर्ण अभ्यास में उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित नहीं किया। नतीजतन, उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश के साथ–साथ प्रतिवादियों के दिनांक 08.09.2009 के आदेश को रद्द कर दिया जाता है, और अपील की अनुमति दी जाती है।

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।